

फोन नं.नम्बर- 0141-2742054

ई-मेल:- dcudt.jmc@gmail.com

क्रमांक:- एफ-6 () उपा.राज.(प्रथम)/होर्डिंग/ननिज/2025/27

दिनांक:- 14/05/2025

ई-ऑक्शन (होर्डिंग) विज्ञप्ति सं. 46/2025-2026

नगर निगम, ग्रेटर जयपुर द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन के लिए विभिन्न विज्ञापन साईटों का ई-ऑक्शन निम्नानुसार किया जाना है

क्र.सं.	विज्ञापन का नाम	संख्या	ई-ऑक्शन दिनांक	समयावधि
1.	1. कियोस्क बोर्ड, (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) ब्लॉक-F पूर्व हवामहल पूर्व जोन ब्लॉक-B पूर्व सिविल लाईन जोन	02 जोन कियोस्क बोर्ड	03.06.2025	प्रातः 11.00 बजे से 5.30 बजे तक (अंतिम 5 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली दिये जाने पर ई-नीलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 15 मिनट की वृद्धि हो जायेगी जिसकी अधिकतम समय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।)
	2. निर्मित डिजिटल यूनिपोल (समूह में)	14 डिजिटल यूनिपोल		
	3. नये लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4' (समूह में 37 विज्ञापन साईटें)	37		
	4. लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4' (समूह में 25 विज्ञापन साईटें)	25		
2.	1. निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण (ग्रुप बाईज) (ग्रुप ए-ग्रुप-बी-ग्रुप-डी)	14	04.06.2025	प्रातः 11.00 बजे से 5.30 बजे तक (अंतिम 5 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली दिये जाने पर ई-नीलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 15 मिनट की वृद्धि हो जायेगी जिसकी अधिकतम समय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।)
	2. निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री)	08		
	3. निर्मित बसशैल्ड्स साईटें (समूह में). (एम.आई.रोड बसशैल्ड्स) (जे.एल.एन मार्ग बसशैल्ड्स)	19		
	4. दुर्गापुरा एंटीवेटेड रोड के खम्भे (समूह में 84 खम्भे)	84 खम्भे		
3.	1. मालवीय नगर, जोन, विद्याधर नगर जोन, सागानेर जोन, मानसरोवर जोन, जगतपुरा जोन, झोटवाड़ा जोन एवं मुरलीपुरा जोन यूनिपोल	63	05.06.2025	प्रातः 11.00 बजे से 5.30 बजे तक (अंतिम 5 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली दिये जाने पर ई-नीलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 15 मिनट की वृद्धि हो जायेगी जिसकी अधिकतम समय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।)
	2. नये बैकलिट टॉवर साईटें	9		
	3. पुराने निर्मित बैकलिट टॉवर साईटें	13		
	4. निर्मित टॉलेस्ट टॉवर (समूह में)	02		
	5. निर्मित यूनिपोल 14'x7'	01		

ई-ऑक्शन कार्यक्रम, शर्तें, अमानता राशि, भागीदारी राशि तथा ई-नीलामी बिजनेस रूल्स आदि की जानकारी हेतु नीलामी साईट वेबसाईट www.jaipurmc.org में (E-Auction) पर देखी जा सकती है तथा इसी साईट पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इच्छुक फर्म/व्यक्ति निर्धारित पंजीयन शुल्क राशि 1,000/- (एक हजार रुपये) जमा करवाकर, पंजीयन करवाकर ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। अमानता राशि दिनांक 02.06.2025 को रात्रि 12.00 बजे तक जमा की जायेगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या/अथवा जानकारी हेतु एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के दूरभाष नं. 8875403031, 6377142055 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(अशोक कुमार शर्मा)

उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)

नगर निगम ग्रेटर,जयपुर

प्रतिलिपि :-

- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को भेजकर लेख है कि दो राज्य स्तरीय एवं दो राष्ट्रीय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों के आगामी अंक में विज्ञप्ति प्रकाशन करवाकर एक प्रति शाखा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। समय पर विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं होने पर यदि ऑक्शन निरस्त होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
- सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.05.14 16:19:10 IST

Reason: Approved





कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड)

मई 2025

ई-ऑक्शन सूची

क्र.सं.	जोन का नाम	नीलामी शुरुआती बोली
1	ब्लॉक-F (पूर्व हवामहल पूर्व जोन)	15,50,340 / -रु.
2	ब्लॉक- B (पूर्व सिविल लाईन जोन)	1,92,62,452 / -रु.

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

14 निर्मित डिजिटल यूनियोन (समूह में)

मई 2025

ई-ऑक्शन सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण	नीलामी शुरूआती बोली
1	जे.एल.एन. मार्ग, क्लार्क होटल के बाहर।	1,53,74,260 / - रु.
2	जे.एल.एन. मार्ग, ओ.टी.एस. सर्किल बिड़ला मंदिर देखता हुआ।	
3	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान कॉलेज के बाहर।	
4	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर।	
5	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास।	
6	जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मंदिर सर्किल।	
7	जे.एल.एन. मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल।	
8	जे.एल.एन. मार्ग, सूचना केन्द्र देखता हुआ।	
9	एम.आई.रोड, सरावगी मेशन के सामने।	
10	रामबाग सर्किल, सुबोध कॉलेज।	
11	रामबाग सर्किल, टोंक रोड कार्नेर।	
12	रामबाग सर्किल, सुबोध कॉलेज के पास।	
13	एम.आई.रोड, अजमेरी गेट।	
14	एम.आई.रोड, न्यू गेट।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

नये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) 8'x4'(समूह में)

नये लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4'

मई 2025, ग्रेटर

ई-ऑक्शन सूची, (अपडेट)

क्र. सं.	साईज	जोन का नाम	स्थान का विवरण	नीलामी शुरुआती राशि
1	8x4	MSZ	महारानी फार्म पुलिया।	49,27,362 / – रुपये
2	8x4	MSZ	मानसरोवर एस.एफ.एस. चौराहा, फ्लैट ब्लॉक – ए की ओर।	
3	8x4	MSZ	मानसरोवर एस.एफ.एस. चौराहा, एस.एफ.एस. की ओर।	
4	8x4	MSZ	मानसरोवर वी.टी. रोड़।	
5	8x4	MSZ	मानसरोवर मेट्रो स्टेशन।	
6	8x4	MSZ	बी-2 बाईपास, शिप्रापथ चौराहा बाई ओर।	
7	8x4	MSZ	बी-2 बाईपास, शिप्रापथ चौराहा दाई ओर।	
8	8x4	MSZ	गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी नगर मोड़।	
9	8x4	MSZ	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी चौराहा सुलभ के पास।	
10	8x4	MSZ	गोपालपुरा आरओबी, शिव-शक्ति मिष्ठान भंडार के पास।	
11	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, रामनिवास गेट।	
12	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर कला केन्द्र।	
13	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, महावीर उद्यान के पास।	
14	8x4	MNZ	धर्मसिंह सर्किल।	
15	8x4	MNZ	जेडीए सर्किल।	
16	8x4	MNZ	शांति पथ, विजय मार्ग के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे।	
17	8x4	MNZ	मालवीय नगर केलगिरी रोड़, पेट्रोल पंप के पास।	
18	8x4	MNZ	जवाहर नगर बाईपास, अरण्य भवन की दीवार के पास।	
19	8x4	MNZ	प्रधान मार्ग, पुलिया।	
20	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहा।	
21	8x4	MNZ	टोंक रोड़, 1 st सिनेमा के बाहर।	
22	8x4	MNZ	मालवीय नगर, गौरव टॉवर।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved

23	8x4	MNZ	सहकार मार्ग, हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप ऑफिस के पास।
24	8x4	MNZ	गोपालपुरा बाईपास, महावीर नगर टर्न के पास।
25	8x4	MNZ	मिलाप नगर, टोंक रोड़।
26	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, इनकम टैक्स रोड़ के कोने पर।
27	8x4	MNZ	टोंक रोड़, दुर्गापुरा बस स्टैण्ड के पास।
28	8x4	VDZ	विद्याधर नगर, सेन्द्रल स्पाईन चौराहा।
29	8x4	VDZ	विद्याधर नगर, नेशनल हैण्डलूम के पास।
30	8x4	VDZ	विद्याधर नगर रोड़, स्वर्ण जयंति गार्डन के सामने, विद्याधर नगर जाने वाले रास्ते के फुटपाथ पर।
31	8x4	JHZ	क्वींस रोड़, झारखण्ड महादेव के पास।
32	8x4	JHZ	क्वींस रोड़, गांधी-पथ के सामने।
33	8x4	SNZ	टोंक रोड़, हल्दी-घाटी मार्ग, प्रताप नगर।
34	8x4	SNZ	टोंक रोड़, सीतापुरा आरओबी के पास।
35	8x4	JPZ	जगतपुरा पुलिया ।
36	8x4	JPZ	बालाजी मोड़, जगतपुरा।
37	8x4	MPZ	मुरलीपुरा चौराहा, सीकर रोड़।

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4' (समूह में 25)

मई 2025, ग्रेटर

ई-ऑक्शन सूची, (अपडेट)

क्र. सं.	साईज	जोन का नाम	स्थान का विवरण	नीलामी शुरूआती राशि
1	8x4	MNZ	एम.आई. रोड साँगानेरी गेट, महिला चिकित्सालय के गेट के पास, रामनिवास बाग की रेलिंग के पास।	61,55,875 /— रुपये
2	8x4	MNZ	एम.आई.रोड, यादगार के सामने आर.एस.ई.बी. की दीवार के पास ।	
3	8x4	MNZ	टोंक रोड, एस.एम.एस. अस्पताल के पास।	
4	8x4	MNZ	टोंक रोड, नारायण सिंह तिराहा।	
5	8x4	MNZ	भवानी सिंह रोड, रामबाग सर्किल।	
6	8x4	MNZ	टोंक रोड, अपेक्स मॉल के पास।	
7	8x4	MNZ	टोंक रोड, गाँधीनगर, नेहरू बाल उद्यान के पास।	
8	8x4	MNZ	टोंक रोड, नेहरू पैलेस के कोने पर फल मण्डी की ओर ।	
9	8x4	MNZ	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महावीर कैंसर अस्पताल की दीवार के पास ।	
10	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल।	
11	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल।	
12	8x4	MNZ	जे.एल.एन.मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल।	
13	8x4	MNZ	मालवीय नगर, अपेक्स सर्किल।	
14	8x4	MNZ	बापू नगर, जनता स्टोर।	
15	8x4	MNZ	भवानी सिंह रोड, एल.आई.सी. गेट नं.-2 के बाहर।	
16	8x4	MNZ	भवानी सिंह रोड, सहकार भवन के दीवार के समानान्तर।	
17	8x4	MSZ	गोपालपुरा बाईपास पुलिया के पास।	
18	8x4	MSZ	मानसरोवर मध्यम मार्ग।	
19	8x4	MSZ	टोंक रोड, तारों की कूट, पेट्रोल पम्प के सामने ।	
20	8x4	MPZ	सीकर रोड, चौमू रोड तिराहा, मिलिट्री की दीवार के पास ।	
21	8x4	MPZ	झोटवाडा रोड, पुलिया के पास।	
22	8x4	MPZ	झोटवाडा रोड, हाईपर सिटी मॉल के सामने।	
23	8x4	JPZ	एयरपोर्ट के पास।	
24	8x4	JPZ	एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल के पास।	
25	8x4	VDZ	सीकर रोड, सोनी अस्पताल की दीवार के पास ।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित सुलभ शौचालय

मई 2025

ई-ऑक्शन-सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली राशि
	सुलभ शौचालय साइट्स (ग्रुप - ए)	5,50,000 / - रुपये
1	चित्रकूट स्टेडियम।	
2	लालकोठी नगर निगम के पास।	
3	रोज गार्डन, मानसरोवर टैगोर अस्पताल के पास।	
4	अजमेरी गेट यादगार के सामने।	
5	नारायण सिंह सर्किल।	
क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली राशि
	सुलभ शौचालय साइट्स (ग्रुप - बी)	12,50,000 / - रुपये
1	मालवीय नगर, सत्कार मार्केट।	
2	मालवीय नगर सेक्टर -3।	
3	सूचना केन्द्र के सामने।	
4	गांधी नगर रेलवे स्टेशन के सामने।	
5	एम्बूलेस स्टैंड के पास अलबर्ट हॉल के पिछे।	
6	गौरव-टॉवर, जयपुर।	
क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली राशि
	सुलभ शौचालय साइट्स (ग्रुप - डी)	7,70,658 / - रुपये
1	खातीपुरा तिराहे के पास।	
2	जोशी मार्ग 31 नं. बस स्टैंड के पास, कालवाड़ रोड़।	
3	स्वर्ण जयंती पार्क पुराना विद्याधर नगर बस स्टैंड।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री)
मई 2025
ई-ऑक्शन-सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	सीकर रोड़, भवानी निकेतन के सामने।	12,13,905
2	सीकर रोड़, खेतान हॉस्पिटल के सामने।	10,54,200
3	रिद्धी-सिद्धी जेडीए मार्केट के सामने, मानसरोवर।	15,05,700
4	झोटवाड़ा, रिक्को ऐरिया।	7,39,200
5	सहकार मार्ग, परिवहन कार्यालय के पास।	12,36,499
6	झोटवाड़ा पुलिया थाने की तरफ, झोटवाड़ा।	11,18,439
7	गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड़।	11,57,758
8	आईआईएस स्कूल, मानसरोवर, जयपुर।	16,32,925

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित बसशैल्टर्स (रोड़ वाईज समूह में)

मई 2025, ग्रेटर

ई-ऑक्शन सूची, (अपडेट)

क्र. सं.	स्थान का विवरण	नीलामी शुरुआती बोली
	एम.आई.रोड़	
1.	एम. आई. रोड़, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय के बाहर एम.आई. रोड़।	20,49,664 / – रु.
2.	एम. आई. रोड़, रामनिवास बाग गेट के पास, एमआई रोड़।	
3.	एम. आई. रोड़, न्यू गेट रामलीला मैदान के बाहर।	
4.	एम. आई. रोड़, गोलछा स्क्वायर के पास एम.आई.रोड़।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित बसशैल्टर्स (रोड़ वाईज समूह में)

मई 2025

ई-ऑक्शन सूची

क्र. सं.	स्थान का विवरण	नीलामी शुरूआती बोली
1.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग	78,68,452 / -रु.
2.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बांगड़ अस्पताल के बाहर।	
3.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.के.लोन हॉस्पिटल के बाहर।	
4.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, उनियारा गार्डन के बाहर।	
5.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेडीए के पास टाउन प्लानिंग के पास।	
6.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी के सामने।	
7.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉनोडिया कॉलेज के बाहर।	
8.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सामने।	
9.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर कला केन्द्र के बाहर।	
10.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के बाहर।	
11.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के सामने।	
12.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे से 50 मी. दूर, मालवीय नगर की ओर MNIT के बाहर।	
13.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पेट्रोल पम्प के पास एमएनआईटी के सामने।	
14.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सरस डेयरी के सामने।	
15.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड के पास।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ऐलीवेटेड रोड के खंभे (समूह में)

मई 2025

ई-ऑक्शन-सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	स्थान	संख्या	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	दुर्गापुरा ऐलीवेटेड रोड (टोंक रोड)	बेस कॉलम- 47 ऐलीवेटेड रोड पर खंभे -37 कुल खंभे - 84	1,19,93,974 /- रुपये

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved

यूनिपोल साईट
मालवीय नगर जोन मई 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (मालवीय नगर)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरूआती बोली
1	MDZ-04	MNZ-04	16x8	टोंक रोड़, उपरोक्त के सामने स्लीप लाईन पर, महारानी कॉलेज की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर वि.प.न.1।	16,92,366
2	MDZ-19	MNZ-08	16x8	टोंक रोड़, उपरोक्त साईट से थोड़ा आगे, सवाई मानसिंह विद्यालय के सामने, दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानान्तर।	19,53,641
3	MDZ-76	MNZ-17	30x15	गांधीनगर स्टेशन रोड़, आरओबी से पूर्व की ओर रेलवे कम्पाउन्ड की दीवार के पास, अजमेरी गेट देखते हुये।	30,17,619
4	MSZ-73	MNZ-18	30x15	टोंक रोड़, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते के दक्षिणी तरफ फुटपाथ पर टोंक पुलिया देखते हुये।	37,94,082
5	MDZ-83	MNZ-19	30x15	जे.एल.एन. रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट के पास बने सुलभ शौचालय के पास शहीद स्मारक देखते हुए।	30,11,254
6	MDZ-81	MNZ-24	30x15	जे.एल.एन.मार्ग, राजस्थान कॉलेज के पास फुटपाथ पर।	42,21,146
7	MDZ-57	MNZ-26	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे के पास, पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर।	44,28,920
8	MDZ-85	MNZ-27	30x15	जे.एल.एन.मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी दीवार के पास।	44,14,828
9	MDZ-71	MNZ-29	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी, से पूर्व की ओर रेलवे दीवार के पास, एम.एन.आई.टी देखते हुये।	34,32,092
10	MDZ-72	MNZ-30	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी, से पश्चिम की ओर रेलवे दीवार के पास, सरस डेयरी देखते हुये।	37,47,249
11	MDZ-92	MNZ-39	30x15	जगतपुरा रोड़, बालाजी मोड़ टी-पॉइंट।	30,63,043
12	MDZ-32	MNZ-42	16x8	मालवीय नगर, अपेक्स सर्किल के उत्तरी - पश्चिमी कोने पर केलगिरी की ओर से, वि.प.न.1।	12,08,880
13	MSZ-70	MNZ-46	16x8	मालवीय नगर क्रिस्टल कोर्ट मॉल के सामने सीटी सेंटर के गेट के पास।	16,65,360
14	MDZ-40	MNZ-47	30x15	शांति पथ, तिलक नगर, बिरला मंदिर पिछे, सर्किल के पास संजय कच्ची बस्ती ओर जाने वाले रास्ते के कोने पर।	23,30,380
15	CLZ- 07	MNZ-48	16x8	सहकार मार्ग लक्ष्मी मंदिर के आगे, होटल जयपुर पैलेस के सामने, गैस गोदाम की ओर फुटपाथ पर, टोंक रोड़ देखते हुये।	13,31,110

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



16	CLZ- 95	MNZ-50	30x15	परिवहन मार्ग, बाईस गोदाम पुलिया के नीचे रेलवे स्टेशन की ओर रेलवे दीवार के समानांतर दक्षिण दिशा।	39,47,360
17	CLZ- 101	MNZ-51	30x15	22 गोदाम, आरोबी के पास, आरोबी के दक्षिणी और परिवहन मार्ग पर फुटपाथ पर रेलवे बाउण्ड्रीवाल के पास।	40,06,110
18	MDZ-65	MNZ-60	16x8	एम.आई.रोड़, जेम सिनेमा के सामने, रामनिवास बाग के गेट के पीछे, पश्चिमी ओर बाग की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	21,55,421
19	MDZ-64	MNZ-61	16x8	एम.आई.रोड़, रंगमंच के गेट के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर।	21,18,487
20	MSZ-58	MNZ-62	30x15	हिम्मत नगर, आरओबी के पास।	27,26,553
21	MDZ-106	MNZ-69	30x15	बजाज नगर रोड़ खादी ग्रामोद्योग संस्था के बाहर फुटपाथ पर टोक पुलिया आरओबी देखते हुए।	25,14,886
22	—	MNZ-86	16'x8'	रामनिवास गार्डन के गेट (दक्षिण द्वार)।	13,32,810
23	—	MNZ-87	16'x8'	सहकार मार्ग पर, लालकोठी सब्जी मंडी।	13,64,275
24	—	MNZ-88	16'x8'	रमाड़ा होटल, राम मंदिर के पास।	14,82,598

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved

यूनिपोल साईट
विद्याधर नगर जोन मई 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (विद्याधर नगर जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	VDZ-18	VDZ-10	16x8	विद्याधर नगर फन सिनेमा वाली रोड़ पर दानाशिवम हॉस्पिटल के पास।	11,56,785
2	VDZ-53	VDZ-11	16x8	विद्याधर नगर रोड़, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी कोने के फुटपाथ पर।	9,34,362
3	VDZ-48	VDZ-15	30x15	खातीपुरा रोड़, खातीपुरा आरओबी के पास आरोबी के पश्चिम की ओर वार्ड नं. 9 कार्यालय के पास फुटपाथ पर।	24,82,294
4	—	VDZ-52	16'x8'	अम्बाबाड़ी, सब्जी मंडी।	7,98,600
5	—	VDZ-53	16'x8'	नेशनल हैंडलूम, विद्याधर नगर।	7,99,891

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved

यूनिपोल साईट
सांगानेर जोन मई 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (सांगानेर जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	SNZ-63	SNZ-01	16x8	सांगानेर चौधरी पेट्रोल पंप से पहले फ्लाईओवर के पास।	15,23,731
2	SNZ-53	SNZ-02	16x8	टोंक रोड़, सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पार्लर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुये।	6,51,333
3	SNZ-40	SNZ-04	16x8	टोंक रोड़, हल्दीघाटी चौराहे से पहले पश्चिमी और टोंक रोड़ देखते हुये ।	11,98,232
4	SNZ-54	SNZ-05	16x8	टोंक रोड़, प्रताप नगर हल्दी घाटी मार्ग के चौराहे पर पूर्वी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखते हुये।	14,29,290
5	SNZ-44	SNZ-07	16x8	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1।	7,88,692
6	SNZ-58	SNZ-10	30x15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास, आरोबी के पश्चिम और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास।	18,04,836
7	SNZ-57	SNZ-11	30x15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास आरोबी के पूर्वी ओर आरोबी रेलवे लाईन के पास बने प्लॉट नं. A-1 के पास।	21,29,600

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved

यूनिपोल साईट
मानसरोवर जोन मई 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (मानसरोवर जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरूआती बोली
1	MSZ-57	MSZ-02	30X15	गोपालपुरा आरोबी के पास, आरोबी के दक्षिण और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास, उत्तरी और गोपालपुरा देखते हुये।	37,13,769
2	MSZ-68	MSZ-04	30X15	गोपालपुरा बाईपास, आरओबी के उत्तरी- पश्चिमी ओर।	41,27,990
3	MSZ-40	MSZ-06	16X8	गोपालपुरा बाईपास गोपालपुरा रेलवे पुलिया से पहले रिद्धी-सिद्धी की तरफ सरकारी स्कूल के फुटपाथ पर।	13,77,851
4	MSZ-06	MSZ-08	30X15	गोपालपुरा बाईपास रोड, रिद्धी-सिद्धी तिराहे के पास दक्षिणी ओर आरोबी देखते हुये।	26,72,648
5	MSZ-54	MSZ-13	16X8	शिप्रापथ मोहननगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी-पॉइंट पर साईट सं. MSZ-04 के पास एस.एफ.एस की ओर।	13,59,566
6	MSZ-36	MSZ-14	16X8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहन नगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पाईंट पर।	13,33,330
7	MSZ-50	MSZ-16	30X15	महारानी फार्म गायत्री नगर जाने वाली रोड के सामने फुटपाथ पर।	24,20,143
8	MSZ-10	MSZ-18	16X8	मानसरोवर अग्रवाल फार्म एस.एफ.एस. चौराहे पर दक्षिणी-पूर्वी कोने पर।	9,33,576
9	MSZ-74	MSZ-19	30'x15'	न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर बी-2 बाईपास एस.एफ.चौराहे पर।	20,65,113
10	MSZ-07	MSZ-20	16X8	मानसरोवर वीर तेजाजी रोड मध्यम मार्ग चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	9,03,144
11	MSZ-08	MSZ-21	16X8	मानसरोवर वीर तेजाजी रोड मध्यम मार्ग चौराहा पर ही पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	8,84,450
12	MSZ-09	MSZ-22	16X8	मानसरोवर वीर तेजाजी रोड मध्यम मार्ग चौराहे के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर चौराहा देखते हुये।	10,66,131
13	CLZ-119	MSZ-23	30'x15'	अजमेर रोड, डीसीएम, 200 फीट बाईपास चौराहे पर। (पत्र क्रमांक 148 दिनांक 16.09.2022 द्वारा स्थान परिवर्तन किया गया है।)	10,66,131
14	CLZ-120	MSZ-24	30'x15'	अजमेर रोड, डीसीएम, 200 फीट बाईपास चौराहे पर। (पत्र क्रमांक 148 दिनांक 16.09.2022 द्वारा स्थान परिवर्तन किया गया है।)	10,66,131
15	CLZ-122	MSZ-25	30'x15'	गोपालपुरा बाईपास स्थित 200 फीट रोड तिराहे पर। (पत्र क्रमांक 148 दिनांक 16.09.2022 द्वारा स्थान परिवर्तन किया गया है।)	10,66,131
16	—	MSZ-80	16'x8'	त्रिवेणी पुलिया, रेड लाईट के पास।	12,02,558

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved

यूनिपोल साईट
जगतपुरा मई 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (जगतपुरा जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	MDZ-87	JPZ -02	30x15	जगतपुरा आरओबी के पास, रेलवे प्लैट के सामने, निर्माणाधीन मंगलम बाजार के कोने पर जगतपुरा देखते हुये पश्चिम की ओर।	27,01,100
2	MDZ-93	JPZ -03	30x15	जगतपुरा आरओबी के पास, रेलवे प्लैट के सामने, निर्माणाधीन मंगलम बाजार के कोने पर मालवीय नगर देखते हुये पश्चिम की ओर।	30,96,318
3	SNZ-61	JPZ -04	30x15	जगतपुरा आरओबी के पास, आरओबी की दीवार के पास, जगतपुरा देखता हुआ पूर्वी ओर।	27,96,710
4	SNZ-64	JPZ -05	16x8	महल रोड़, एस.के.आई.टी. जाने वाले मार्ग के दाईं ओर जीतु पान भण्डार के पास, विनायकइन आईसीआईसीआई बैंक के पास।	8,65,988
5	SNZ-65	JPZ -06	16x8	महल रोड़, एस.के.आई.टी. जाने वाले मार्ग के दाईं ओर डेयरी बूथ के सामने फुटपाथ पर, पश्चिम दिशा।	8,65,988
6	MDZ-93	JPZ -07	30x15	एयरपोर्ट टर्मिनल-2 से जवाहर सर्किल जाते हुए एयरपोर्ट रोड़ पर तारो की कूट, टोंक रोड़ जाने वाले रास्ते के चौराहे पर स्मजि की ओर कोने पर एयरपोर्ट देखते हुए।	32,40,066

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved

यूनिपोल साईट
झोटवाड़ा जोन मई 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (झोटवाड़ा जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	—	JHZ-48	16'x8'	नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर।	15,01,540
2	—	JHZ-49	16'x8'	नैशनल हैंडलूम, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर।	17,20,517

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved

यूनिपोल साईट
मुरलीपुरा जोन मई 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (मुरलीपुरा जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	VDZ-64	MPZ-01	16'x8'	सीकर रोड़, चौमूं पुलिया, भवानी निकेतन स्कूल के कोने के पास।	9,29,644
2	—	MPZ-03	30x15	सीकर रोड़, एक्सप्रेस हाईवे के दक्षिणी-पश्चिमी की ओर आईलैंड पर पश्चिम देखते हुए।	10,66,131
3	—	MPZ-32	16'x8'	चौमूं पुलिया के पास।	9,29,644 (NEW SITE)

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
नये बैकलिट टॉवर साईट्स (समूह में)
मई 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

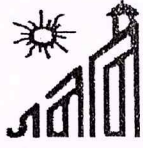
बैकलिट टॉवर साईट्स

न्यूनतम शुरुआती बोली राशि 18,90,000 रु.

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेडीए चौराहा, बिड़ला मंदिर की ओर आईलैंड पर।
2	टोक रोड़, बी-2 बाईपास चौराहा दक्षिणी-पश्चिम की ओर।
3	एस.एफ.एस. चौराहा, मानसरोवर एस.एफ.एस. की ओर।
4	न्यू सांगानेर रोड़, विजयपथ चौराहा सर्विस रोड़ के फुटपाथ पर।
5	अजमेर रोड़ 200 फीट बाईपास के पहले।
6	जवाहर नगर बाईपास, शांति-पथ तिराहे के पास।
7	टोक रोड़, दुग्गड़ गार्डन के बाहर।
8	विद्याधर नगर रोड़, रेड क्रॉस मॉल के पास आईलैंड पर।
9	जगतपुरा- मालवीय नगर रोड़, सेक्टर 15 मालवीय नगर जाने वाले मार्ग के कोने पर बी-1 प्लाजा के पास आईलैंड पर।

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

13 निर्मित बैकलिट टॉवर 6 मीटर (समूह में)

मई 2025 (अपडेट)

ई-ऑक्शन सूची, ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	जवाहर लाल नेहरू मार्ग—जवाहर सर्किल।	(48,19,500 / – रुपये)
2	जवाहर लाल नेहरू मार्ग—ओ.टी.एस सर्किल।	
3	जवाहर लाल नेहरू मार्ग—जवाहर कला केंद्र।	
4	जवाहर लाल नेहरू मार्ग—गौरव टॉवर।	
5	जवाहर लाल नेहरू मार्ग—गणेश मंदिर चौराहा।	
6	भवानी सिंह मार्ग—एस.एम.एस स्टेडियम के बाहर।	
7	टोंक रोड़, नेहरू पैलेस।	
8	जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के बीच।	
9	जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के बीच।	
10	क्वींस रोड़ गांधी पथ।	
11	विधाधर नगर सेन्ट्रल स्पाईन, आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने।	
12	विधाधर नगर सेन्ट्रल, टाइम स्क्वायर के सामने।	
13	हवा सड़क गीजगढ़ टॉवर के पास।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित टॉलेस्ट ग्रेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट (समूह में)

मई 2025 ग्रेटर

ई-ऑक्शन सूची, (अपडेट)

क्र.सं.	स्थान	न्यूनतम शुरुआती बोली
1.	रामबाग सर्किल	35,65,620 / – रु.
2.	भगत सिंह चौराहा, राजापार्क	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित यूनियोल 14'x7'

मई 2025

ई-ऑक्शन-सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान	न्यूनतम शुरूआती बोली
1	क्वींस रोड, प्रिंस मार्ग के सामने, मिलक्वैरी की दीवार के पास।	16,23,204 / - रुपये

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:57 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी शर्त : मई 2025

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर अपने सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईनैज (गैन्ट्री)/यूनिपोल (30'x15') (16'x8')/निर्मित सुलभ शौचालय/निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर/नये ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर/लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4'/निर्मित टॉलेस्ट क्रियेटेड टॉवर/निर्मित बसशैल्टर्स/निर्मित डिजिटल यूनिपोल/कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड)/निर्मित यूनिपोल 14'x7'./ नये लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4'./दुर्गापुरा ऐलीवेटेड रोड के खंभों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण करने हेतु ई-नीलामी निविदा आमंत्रित करता है। ई-नीलामी में लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	ई-ऑक्शन संबंधी विज्ञापन साइट विवरण	विज्ञापन साइट की साईज	विज्ञापन की संख्या	उक्त ई-ऑक्शन हेतु विज्ञापन साइटों में 10 प्रतिशत राशि की वृद्धि करते हुए	विशेष विवरण
1	यूनिपोल	30'x15'	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	
2	यूनिपोल	16'x8'	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	
3	निर्मित डिजिटल यूनिपोल	14'x7'	14 (समूह में)	1,53,74,260	
4	निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर	6 मीटर	13 (समूह में)	48,19,500	
5	नये ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर	6 मीटर	9 (समूह में)	18,90,000	
6	ओवरहैड साईनैज (गैन्ट्री)	—	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	
7	निर्मित बसशैल्टर्स (रोड़ वाईज)	—	19 (जे.एल.एन.मार्ग-15)	78,68,452	
			एम.आई.रोड़-4	20,49,664	
8	निर्मित सुलभ शौचालय	—	ग्रुप वाईज -14		
			(ग्रुप-ए-5)	5,50,000	
			(ग्रुप-बी-6)	12,50,000	
			(ग्रुप-डी-3)	7,70,658	
9	नये लघु विज्ञापन बोर्ड	8'x4'	37 (समूह में)	49,27,362	
10	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	लम्बाई 40 इंच चौड़ाई 30 इंच	02 जोन कियोस्क बोर्ड पूर्व सिविल लाईन जोन, ब्लॉक-बी	1,92,62,452	
			पूर्व हवामहल जोन, ब्लॉक-एफ	15,50,340	
11	निर्मित टॉलेस्ट क्रियेटेड टॉवर	—	2 (समूह में)	35,65,620	
12	निर्मित यूनिपोल	14'x7'	01 यूनिपोल	1,19,93,974	
13	दुर्गापुरा ऐलीवेटेड रोड के खंभे	—	84 खंभे		

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:00 IST
Reason: Approved



14	लघु विज्ञापन बोर्ड	8'x4'	25 बोर्ड	61,55,875
----	--------------------	-------	----------	-----------

(1) ई-नीलामी के समय संबंधी शर्तें :-

- ई-नीलामी का निर्धारित समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा। अंतिम 5 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली लगाये जाने पर ई-नीलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 15 मिनट की वृद्धि हो जायेगी जिसकी अधिकतम समय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।
- ई-नीलामी में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या/बाधा आने पर समस्या के निस्तारण हेतु नगर निगम के एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं उनके प्रतिनिधि से दूरभाष नं. 8875403031, 6377142055 पर संपर्क किया जा सकता है। जिसके पश्चात् भी तकनीकी समस्या का निवारण नहीं होने की स्थिति संबंधित ई-नीलामी विज्ञापन साइट के संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम स्तर से किया जा सकेगा।

(2) ऑनलाईन अमानता राशि/धरोहर राशि संबंधी शर्तें :-

- ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) संबंधी विज्ञापन साइटों हेतु नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता राशि 25,000/- अक्षरे (पच्चीस हजार रुपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईनैज निगम कोष में जमा करानी होगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म से प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त संबंधित को स्वीकृत बोली राशि की दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में नगर निगम ग्रेटर, जयपुर कोष में जमा करानी होगी। इसके साथ ही उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि 25,000/- रुपये का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जायेगा एवं इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा जमा कराई जाने वाली 5 प्रतिशत धरोहर राशि को लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- यूनिपोल विज्ञापन साइटों संबंधी प्रत्येक यूनिपोल साइट (साईज 16'X8') के लिए रुपये 30,000/- (तीस हजार रुपये) तथा प्रत्येक यूनिपोल साइट (साईज 30'X15') के लिए 50,000/- रु. (पचास हजार रुपये) बतौर अमानता ऑनलाईन नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- निर्मित सुलभ शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्श करने एवं उनका संधारण करने संबंधी विज्ञापन साइट के लिए (ग्रुप वाईज) नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता रुपये 30,000/- अक्षरे (तीस हजार रुपये मात्र) प्रति ग्रुप निर्मित शौचालय पर निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर (13 विज्ञापन साइटें समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 5,00,000/- रु. (अक्षरे पाँच लाख रुपये) एवं नये ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर (9 विज्ञापन साइटें समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 3,00,000/- रु. (अक्षरे तीन लाख रुपये) निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- टॉलेस्ट क्रियेटेड टॉवर विज्ञापन साइटों क्रमशः (1) रामबाग सर्किल भवानी सिंह रोड के पास (2) गोविन्द मार्ग, भगतसिंह पार्क के सामने, 2 विज्ञापन साइटें समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 75,000/- रु. (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- नये लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4' विज्ञापन साइटें (37 लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4' साइटें समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 1,00,000/- रु. (अक्षरे एक लाख रुपये) एवं लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4' विज्ञापन साइटें (25 लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4' साइटें समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 1,00,000/- रु. (अक्षरे एक लाख रुपये) निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.05.14 16:21:00 IST

Reason: Approved

राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदात के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।

- G.** निर्मित बसशैल्टर्स विज्ञापन साइटें (रोड़ वाईज समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 25,000/- रु. (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदात के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- H.** निर्मित डिजिटल यूनिपोल (14 विज्ञापन साइटें समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 5,00,000/- रु. (अक्षरे पांच लाख रुपये) निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदात के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- I.** कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) (जोनवार ब्लॉक वाईज) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में प्रति जोन हेतु राशि 1,00,000/- रु. (अक्षरे एक लाख रुपये) निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदात के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- J.** निर्मित यूनिपोल 14'x7' के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 20,000/- रु. (अक्षरे बीस हजार रुपये) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदात के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- K.** दुर्गापुरा ऐलीवेटेड रोड़ के खंभों के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 1,00,000/- रु. (अक्षरे एक लाख रुपये) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदात के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।

L. आगामी ई-ऑक्शन में प्रत्येक विज्ञापन साइट पर बोलीदाता द्वारा बोली राशि लगाने का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	न्यूनतम शुरूआती बोली राशि	फर्मों द्वारा एक बार में बोली में वृद्धि किये जाने वाली न्यूनतम राशि
1	10 लाख रुपये से कम के ई-ऑक्शन साइट हेतु	01 हजार रुपये की बढ़ोतरी
2	10 लाख से 01 करोड़ रुपये तक के ई-ऑक्शन साइट हेतु	10 हजार रुपये की बढ़ोतरी
3	01 करोड़ रुपये से अधिक के ई-ऑक्शन साइट हेतु	50 हजार रुपये की बढ़ोतरी

(3) लाईसेंस समयावधि एवं नवीनीकरण शर्त :-

- A. उपर्युक्त सभी विज्ञापन स्थलों की नीलामी एवं लाईसेंस अवधि मात्र 01 वर्ष तक के लिए की जावेगी।
- B. सफल बोलीदाता फर्मों द्वारा 01 वर्ष की अवधि नियम संगत एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर फर्मों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकृत विज्ञापन साइटों के नवीनीकरण चाहने तथा नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के भी सहमत होने पर स्वीकृत साइटों के लाईसेंस की अवधि 01-01 वर्ष के लिए दो बार (1+2) वर्ष बढ़ाई जा सकती है अर्थात् लाईसेंस समयावधि अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकेगी।
- C. स्वीकृत लाईसेंस स्थलों का नवीनीकरण करते समय पहले वर्ष लाईसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष लाईसेंस शुल्क में भी 10 प्रतिशत राशि वृद्धि करके ही स्वीकृति दी जावेगी।

(4) स्वीकृत बोली राशि जमा कराने एवं अनुज्ञापत्र जारी करने की शर्त :-

- A. ई-ऑक्शन में नीलामी के माध्यम से स्वीकृत विज्ञापन साइटों हेतु उच्चतम बोली राशि जमा करने के उपरान्त नगर निगम आगामी कार्य दिवस में स्वीकृत बोली राशि की 1/4 राशि बोली समाप्ति के 24 घंटे के भीतर ऑनलाईन/ऑफलाईन नगर निगम कोष में जमा करानी होगी। इस

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.05.14 16:21:00 IST

Reason: Approved

नहीं कराने पर बोलीदाता द्वारा जमा कराई हुई समस्त राशि को जब्त कर लिया जावेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि का मौका दिया जावेगा। द्वितीय बोलीदाता के असफल रहने पर पुनः नीलामी की जावेगी तथा उपरोक्तानुसार 1/4 राशि जमा कराने में असफल रहे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य (ब्लैकलिस्ट) घोषित कर दिया जायेगा।

- B. ई-ऑक्शन में नीलामी के माध्यम से फर्मों को स्वीकृत की गई विज्ञापन साइटों की 1/4 राशि जमा कराने के पश्चात् नगर निगम द्वारा उच्चतम बोलीदाता को संबंधित विज्ञापन साइटों हेतु अस्थाई लाईसेंस शुल्क तथा शेष 3/4 राशि का मांग-पत्र जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि जमा एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी.राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी।
- C. निगम द्वारा लाईसेन्सी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटि रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटि को लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर, संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी।
- D. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा आगामी वर्ष के लिए प्रथम नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं नगर निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी।
- E. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा आगामी वर्ष के लिए द्वितीय नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं नगर निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी।
- F. उक्त विज्ञापन स्थलों की समयावधि समाप्त होने पर नवीन निविदा में विलम्ब होने की स्थिति में उक्त स्थलों के विज्ञापन लाईसेंस को नगर निगम द्वारा एक-एक माह के लिये अभिवृद्ध किया जा सकेगा, इस बाबत भिदाद की अधिकतम सीमा निर्धारण का अधिकार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर का होगा।

(5) विज्ञापन साइटों की स्थापन, रख-रखाव एवं हटाने की सामान्य शर्तें :-

- A. नगर निगम ग्रेटर जयपुर क्षेत्राधिकार में विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे।
- B. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि नीलामी शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर नगर निगम द्वारा बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अंकित स्थल अनुसार ही साइट प्लान सहित जारी किया जायेगा जिस पर ही विज्ञापन प्रदर्शित किया जावेगा।
- C. ई-ऑक्शन में नीलामी के माध्यम से फर्मों द्वारा ली गई विज्ञापन साइटों पर एक तरफ ही विज्ञापन प्रदर्श किया जा सकेगा। विज्ञापन साइटों को लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा।
- D. फर्मों द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से ली गई विज्ञापन साइटों पर अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। फर्मों द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से ली जाने वाली विज्ञापन साइटों पर किसी भी धर्म/समुदाय/समाज की भावनाओं को आहत करने वाले विज्ञापन प्रदर्श नहीं किये जायेंगे।
- E. विज्ञापन साइट लगाने या न लगाने के संबंध में किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर विज्ञापन साइट नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा।
- F. नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि विज्ञापन साइट लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ विज्ञापन साइट अवैध माना जावेगा जिसे नगर निगम द्वारा हटवा दिया जावेगा।
- G. विज्ञापन साइट संबंधी स्ट्रक्चर लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साइट्स को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- H. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना विज्ञापन साइट नहीं लगायेगा। विज्ञापन साइट अनुज्ञापत्रधारी या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं, द्वारा विज्ञापन साइटों को स्थापित/अभिकर्ता/अनुज्ञापत्रधारी द्वारा साइट किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:00 IST
Reason: Approved

जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के विज्ञापन साइट को बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को हटाये जाने का अधिकार होगा।

- I. अगर कोई विज्ञापन साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।

(6) विज्ञापन साइट स्थापन, रख-रखाव एवं हटाने की शर्तें :-

A. यूनिपोल साइट 30'x15' एवं 16'x8' हेतु विशेष शर्तें :-

- (i) संबंधित फर्म/व्यक्ति को लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटवाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रु. 30,000/- एवं 30'X15' के यूनिपोल के लिये रु. 60,000/- हर्जा-खर्चा वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटवाने की कार्यवाही में, यूनिपोल की आंशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (ii) यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व. विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
- (iii) जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
- (iv) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (v) अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यूनिपोल साइटों की एकरूपता एवं सौन्दर्य का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावेगा।

B. ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) साइट हेतु विशेष शर्तें :-

- (i) ओवर हैड साईनैज पर लगे दिशा सूचक साईनैज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईनैज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per I.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी। निर्मित ओवर हैड साईनैज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जासकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
- (ii) बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
- (iii) ओवर हैड साईनैज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। इस सम्बन्ध में नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईनैज पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा यदि ऐसा है तो उसे तुरन्त हटाया जावेगा एवं नहीं हटाने पर नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
- (iv) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ओवरहेड साईनैज गैन्ट्री की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ओवर हैड साईनैज गैन्ट्री नीचे नहीं गिरे। ओवरहेड साईनैज गैन्ट्री गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.05.14 16:21:00 IST

Reason: Approved

होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवरहेड साईनेज गैन्ट्री साईटों की एकरूपता एवं सौन्दर्य का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावेगा।

- (v) लाईसेन्स अवधि में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रख-रखाव लाईसेन्सी की होगी। ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा। ओवर हैड साईनेज का स्ट्रक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
- (vi) जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा।

C. कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड) हेतु विशेष शर्त :-

- (i) प्रत्येक कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड) की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा क्लिप लगाकर खम्बे के दोनों ओर कियोस्क बोर्ड लगाये जा सकेंगे। कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड) पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।
- (ii) खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विद्युत चलित कम्प्यूटराईज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।
- (iii) जिन मार्गों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन मार्गों पर बाद में खम्बे सड़क के बीच में लग जाते हैं तो सड़क के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान में जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये हैं उन पर ही लाईसेन्सी कियोस्क लगवा सकेगा वहां यदि सड़क के दाये ओर बायें ओर खम्बे लगे भी हैं तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर अथवा अस्थाई पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.टी.एस. रोड की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।
- (iv) खम्बों पर कियोस्क सड़क/डिवाइडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊँचा होगा। एक खम्बे पर आगे-पीछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जावेंगे।
- (v) कियोस्क बोर्ड लाईसेन्सी को स्वयं के खर्चे पर लगाने होंगे तथा लाईसेन्सी की सम्पत्ति होगी एवं कियोस्क खम्बों पर एकरूपता से लगाने होंगे जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाईसेन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोस्क हटाने होंगे अन्यथा हटाने का खर्चा लाईसेन्सी से अमानता में से वसूला जावेगा।
- (vi) लाईसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसके चोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। नगर निगम ग्रेटर, जयपुर का कोई दायित्व नहीं होगा।
- (vii) जे.एल.एन. मार्ग (रामनिवास बाग गेट से पत्रिका गेट तक) के बिजली के खंभों एवं रामबाग सर्किल से गांधी नगर मोड़ होते हुए गांधी सर्किल तक कोई कियोस्क बोर्ड नहीं लगाये जायेंगे। इसके साथ ही सहकार सर्किल से बाईस गोदाम पुलिया एवं भवानी सिंह रोड भारत जोड़ी सेतु फ्लाईओवर पर एवं पांच बत्ती भगवान दास रोड, जनपथ से विद्यानसभा तक भी पोल कियोस्क बोर्ड नहीं लगाये जायेंगे। घाट की गूणी टनल में कोई भी कियोस्क बोर्ड नहीं लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त चारदीवारी परकोटा क्षेत्र में कोई कियोस्क बोर्ड नहीं लगाये जायेंगे।

D. निर्मित सुलभ शौचालय हेतु विशेष शर्त :-

- (i) लाईसेन्स अवधि में निर्मित शौचालयों के संधारण, पूर्ण देखरेख व रखरखाव की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शौचालय में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा। शौचालयों का स्ट्रक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। निर्मित शौचालयों का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
- (ii) निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरूम/यूरिनल व अन्य सामान की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। लाईसेन्स अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर ठीक कराना होगा। शौचालयों की सुविधाओं को दुरुस्त हालत में रखना होगा कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। निर्मित शौचालयों का रखरखाव होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिकारिता

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:00 IST
Reason: Approved

- (मुख्यालय) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंसरी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी। निर्मित सुलभ शौचालयों विज्ञापन साईटों की एकरूपता एवं सौन्दर्य का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे।
- (iii) लाईसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जोन उपायुक्त या अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों को सही हालात में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (iv) निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक से कम नहीं होगा।
 - (v) निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क शौचालय उपयोग के लिए 2/- रु. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/- रु. होगा एवं यूनिरल का कोई शुल्क नहीं होगा। निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पठनीय स्थल पर दिखता हुआ लगाना अनिवार्य होगा।
 - (vi) निर्मित शौचालयों का संधारण एवं रख-रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टॉयलेट की सफाई, यूनिरल फर्श व दीवारें, छत एवं अन्दर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी। सफाई के लिए फिनाईल, नेपथीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टॉयलेट में साबुन, टॉवल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी। उपायुक्त (राजस्व), उपायुक्त (स्वास्थ्य) या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयों का निरीक्षण उपरान्त उपरोक्त अनुसार सफाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलीदाता की जमा अमानता राशि से 500/- रु. प्रतिदिन की दर से कटौती करने बाबत आदेश जारी करने का अधिकार लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, नगर निगम जयपुर का होगा। शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर लाईसेन्स, लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा।
 - (vii) निर्मित शौचालयों पर संधारणकर्ता फर्म का नाम एवं नगर निगम ग्रेटर, जयपुर का नाम एवं लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - (viii) फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों पर अंदर व बाहरी दीवारों पर अन्य कोई भी विज्ञापन, पोस्टर, स्टेच्यू व अन्य प्रचार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
 - (ix) निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का ताशपत्ती व अन्य खेल नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
 - (x) लाईसेंस किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी फर्म को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
 - (xi) लाईसेंस/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अन्दर उपयोग नहीं करेगा।
 - (xii) बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को होगा।

E. लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4' हेतु विशेष शर्तें :-

- (i) समूह में 37+25 = 62 लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) 8'x4' नीलामी किये जाने के पश्चात् 37+25 = 62 लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) 8'x4' लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। 37+25 = 62 लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर 37+25 = 62 लघु विज्ञापन बोर्ड यूनिपोल विज्ञापन साईटें नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति नहीं होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम ग्रेटर, जयपुर साईट लगाने में सहयोग करेगा एवं साईट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि 37+25 = 62 लघु विज्ञापन बोर्ड यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- (ii) सभी 37+25 = 62 लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल 8'x4') सिल्वर रंग एवं गोल्डन रंग के एकरूपता में होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साईट पर फर्म का नाम एवं साईट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

F. दुर्गापुरा ऐलीवेटेड रोड के खंभों पर विज्ञापन हेतु विशेष शर्तें :-

- (1) टॉक रोड, दुर्गापुरा पर बने हुये ऐलीवेटेड रोड बेस कॉलम (ऐलीवेटेड के खंभे) (टॉक रोड दुर्गापुरा तक) पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रख-रखाव का दायित्व लाईसेंसरी का होगा। ऐलीवेटेड रोड बेस कॉलम (ऐलीवेटेड के खंभे) पर किसी प्रकार अवैध विज्ञापन/होर्डिंग /बैनर/पोस्टर आदि लगे होने पर लाईसेंसधारी द्वारा हटवाया जावेगा। उक्त अवैध विज्ञापन नहीं हटाने पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ऐलीवेटेड रोड के नीचे बेस कॉलम्स (47 खंभों) 37 खंभों पर दोनों ओर विज्ञापन व 1 खम्बे पर एक तरफ तथा पांच खम्बों पर 3 तरफ विज्ञापन किया जा सकेगा। विज्ञापन ग्लोसाईन प्रकार का होगा जिसकी डिजाईन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से स्वीकृत कराना होगा। रोड क्रॉसिंग पर लगी ट्रेफिक लाइट के नीचे खंभे पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। उक्त खम्बे के साईड में विज्ञापन किया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:00 IST
Reason: Approved

G. निर्मित डिजिटल यूनिपोल पर विज्ञापन करने हेतु विशेष शर्तें :-

- (1) सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 14 निर्मित डिजिटल यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंस को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। निर्मित डिजिटल यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर डिजिटल वॉच का प्रदर्शित करना होगा। जिसमें समय, दिनांक, वार एवं तापमान दिखाया जाना आवश्यक होगा। बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक डिजिटल यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा एवं प्रत्येक डिजिटल यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर डिजिटल यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा हटाया जा सकेगा।

H. निर्मित यूनिपोल 14'x7' पर विज्ञापन करने हेतु विशेष शर्तें :-

- (1) 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं।) 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा हटाया जा सकेगा। बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा एवं 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा हटाया जा सकेगा।

I. निर्मित बसशैलटर्स पर विज्ञापन करने हेतु विशेष शर्तें :-

- (1) बस शैलटर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा, इस संबंध में नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस शैलटर्स पर किसी व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा पोस्टर चिपकाने पर बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जाने पर, उसे लगते ही तुरंत हटाने की जिम्मेदारी लाईसेंस की होगी, यदि लाईसेंस द्वारा तुरंत नहीं हटवाये जाते हैं तो नगर निगम द्वारा हटवाये जाने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित किया गया हर्जा-खर्चा लाईसेंस को नगर निगम ग्रेटर, जयपुर कोष में तुरंत जमा कराना होगा। हर्जा-खर्चा तुरंत जमा नहीं कराने की दशा में, जमा अमानता राशि में से कटौती कर ली जायेगी।

J. विज्ञापन साइटों के संबंध में सामान्य एवं विशेष शर्तें :-

1. उपरोक्त शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में निहित होगा तथा वहीं मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
2. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
3. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।
4. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
5. लाईसेंस समाप्ति पर निर्मित विज्ञापन साइटें नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को संभलानी होगी तथा निर्मित विज्ञापन साइटों के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर निर्मित विज्ञापन साइटें अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से निर्मित विज्ञापन साइटों का नगर निगम को भुगतान करना होगा। प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना करने के लिए बाध्य होगा।
6. अनुज्ञापत्र अधिकारी के आदेश/निर्देश की अपील आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को हो सकेगी।
7. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
8. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यदि कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया जाता है अथवा भविष्य में देय हो तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा।

उपायुक्त (राजस्व-प्रथम) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 16:21:00 IST
Reason: Approved